न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 72/2018 **दायरा दिनांक : 29.05.2018**

उनवान

भगवत सिंह आत्मज बाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी सनोरिया, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— लाड़कंवर पत्नी गोपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोटड़ी, मृतक जरिये कायम मुकामान :—

1/1— तंवर सिंह आत्मज गोपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोटड़ी,

1/2— बृजराज सिंह आत्मज गोपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोटड़ी,

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सतीश चन्द गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.10.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 88/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दावा पेश किया जिसमें रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया एवं रेस्पोडेंट के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । अपीलांट ने ग्राम गुराडियाझाला, तहसील पचपहाड की जमाबंदी संख्या 152 नई 175 पुरानी में कुल 9 किता की 12 बीघा 11 बिस्वा आराजी में स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने व हिस्से के अनुरूप बंटवारा प्राप्त किये जाने का वाद प्रस्तुत किया था । आराजी पूर्व में बसन्ती बाई के खाते दर्ज थी जिनके दो पुत्रियां पुष्पाकुंवर व लाडकुंवर थी । पुष्पा बाई का देहान्त हो गया उसके पश्चात् बसन्ती बाई का देहान्त भी हो गया । बसन्ती बाई के देहानत के पश्चात रेस्पोडेंट ने मिलीभगत कर बसन्ती बाई के वारीसान में केवल लाडकुंवर को एक मात्र वारिस बतलाते हुए दिनांक 12.07.2011 को अपने पक्ष में इंतकाल तस्दीक करवा लिया तथा विवादित सम्पूर्ण आराजी अकेले लाडकुंवर के नाम दर्ज हो गई जबकि बसन्ती बाई की आराजी में से 1/2 हिस्सा अपीलांट की माता पुष्पाकुंवर व 1/2 हिस्सा अपीलांट की मौसी लाडकुंवर का दर्ज होना चाहिए था । बसन्ती बाई की सम्पूर्ण आराजी एक मात्र लाडकुंवर के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दी गई । अपीलांट द्वारा दावा पेश करने के पश्चात रेस्पोडेंट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के उपरान्त अपीलांट ने अपना शपथ पत्र पेष किया एवं दस्तावेज प्रमाणित करवाये अधीनस्थ न्यायालय ने वाद सुनने, बहस दिनांक 19.04.2018 को अपीलांट का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्याय, विधान, व तथ्यों के प्रतिकूल होने से

निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने कयासों के आधार पर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तथ्य को आधार बनाया कि अपीलांट को नामान्तरकरण नम्बर 453 की अपील करनी चाहिए थी, किन्तु जब नामान्तरकरण ही एबिनिशियो नल एण्ड वोईड है तो उसके अपील की आवश्यकता नहीं है । इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल लाडकुंवर बाई को ही एक मात्र पुत्र मानकर गलती की है जबकि पुष्पा कुंवर भी बसन्ती बाई की पुत्री थी, जिसके लिए अपीलांट ने अपना शपथ पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया जिसका कोई रिबटल अथवा विरोध अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि बसन्ती बाई के दो पुत्रियां थी उसका कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे सिद्ध हो सके कि बसन्ती बाई के दो पुत्रियां थी । अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जिसमें उसने बसन्ती बाई के दो पुत्रियां होने का कथन किया एवं साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बसन्ती बाई के दो पुत्रियां थी वाद की सूचना रेस्पोडेंट को दी गई यदि अपीलांट के वाद के तथ्य गलत होते तो अवश्य ही रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में उपस्थित होकर तथ्यों का खण्डन किया जाता था जो नहीं किया गया । अपीलांट वादी ने शजरा प्रमाणित नहीं कराया है अधीनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि अपीलांट वादी पुष्पाकुंवर का एक मात्र वारिस है, उसका कोई दस्तावेज व कोई गवाह पेश नहीं किया है गलत आंकलन किया गया है अपीलांट वादी के वाद एवं साक्ष्य में उसने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलांट वादी पुष्पा कुंवर का एक मात्र वारिस है तथा इन तथ्यों को किसी प्रकार से रिबटल अथवा विरोध नहीं किया गया है एवं अपीलांट वादी के शपथ पत्र के समस्त तथ्य प्रमाणित हुए हैं इसलिए अलग से किसी दस्तावेज व साक्षी की

आवश्यकता नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने नेगेटिव तरीके से विचार कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट अपील के पक्ष में तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहे हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा